(1) INDIA NON JUDICIAL

IN-UP32931388910880X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV | 1/2025

Certificate No.	:	IN-UP32931388910880X
Certificate Issued Date	:	03-Jan-2025 02:31 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14103104/ VARANASI/ UP-SRV
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14103104625915283063552X
Purchased by	:	K S S C TRUST BY PRABHAT MISHRA SO RAMDHAR MISHRA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	K S S C TRUST BY PRABHAT MISHRA SO RAMDHAR MISHRA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	S C TRUST BY PRABHAT MISHRA SO RAMDHAR MISHRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	en Hundred And Fifty only)

150/-

सत्यमेव जयते

Serial No.- 994
All Nami:-Praveen Kumar Malviya
CC Code:UPECOLUP14103104
ACC Add:Registry office Gyanpur
Licence No.:12 District Bhadohi
Mo.No.:-9415290126
Signatory.

IN-UP32931388910880X

e below this line

Sub Registrar Office * Gyanpur Dist. Bhadohi * E-Stamp Locked

QE 0018536781

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

only use Kashi Shobha Seva Charitable Trust website

20250099800040

काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का घोषणा पत्र

(ट्रस्ट डीड)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 03.01.2025 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट डीड (इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 तथा पारमार्थिक एवं धार्मिक अधिनियम, एवं 1920 के अन्तर्गत) को प्रभात मिश्र पुत्र राम धर मिश्र निवासी सुधवै पोस्ट सुधवै, तहसील ज्ञानपुर जनपद-भदोही मो0नं0-9125201822 आ०नं०-XXXX-XXXX-2985 पैन नं0 द्वारा घोषणा किया गया क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक के पास रुपया 1 र रूपया) राशि है जिसे वह परमार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करता है। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के साथ-साथ जन कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में कार्य करेगा तथा जीवमात्र की सेवा व सुरक्षा करेगा। क्योकि वह के **काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट** नाम से जाना जायेगा ताकि कार्य करेगा जिसको आगे संक्षिप्त ट्रस्ट भी कहा जायेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता / संस्थापक, मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसके आगे ट्रस्ट का संस्थापक / मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतो से दान, उपहार, ऋण, चन्दा आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से कार्य कर सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल /- (ग्यारह हजार रूपया) नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत कार्यालय सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी / अध्यक्ष, ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रमशः स्मृति-पत्र एवं नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन हेतु संस्थापक द्वारा रू० (ग्यारह हजार रूपया) की निधि स्थापित की गयी है, जो ट्रस्ट फण्ड के रूप में ट्रस्ट के संचालन हेतु प्रयुक्त होगी। ट्रस्ट का संचालन निम्न उद्देश्यों व निमयों के अनुरूप किया जायेगा।

आवेदन सं०: 202500998000040

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 1**	**वर्ष: 2025**

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 0 पंजीकरण शुल्क करण शुल्क -

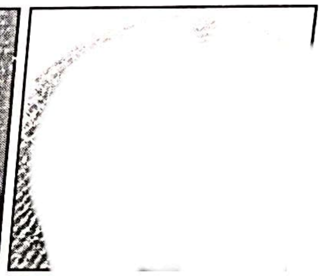

श्री प्रभात मिश्रा ,
पुत्र श्री राम धर मिश्रा
व्यवसाय : वकालत
निवासी: सुधवै तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही आधार नं० **** **** 2985

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/01/2025 एवं 03:36:23 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश तिवारी
उप निबंधक :ज्ञानपुर
भदोही
03/01/2025

आशुतोष पाण्डेय .ज्ञानपुर
निबंधक लिपिक
03/01/2025

प्रिंट करें

निबन्धक ज्ञानपुर भदोही

202500998000040

काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का घोषणा पत्र

(ट्रस्ट डीड)

ट्रस्ट का नाम काशी शोभा सेवा चरिटेबल ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता ग्राम सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जनपद-भदोही, (उत्तर प्रदेश)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा भारतीय संस्कृति के अनुरूप सामाजिक उत्थान, सांस्कृति विकास एवं राष्ट्रीयता विकास हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है किन्तु मुख्य कार्यालय भारत में ही होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्य :-

ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नलिखित है-

1- समाज में शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, तथा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण / प्रशिक्षण विद्यालयों (बी०एड०, बी०पी०ए०, बी०टी०सी०, आई०टी०टाई०, पोलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज,) संस्कृत महाविद्यालयों, शास्त्रीय संगीत विद्यालयों तथा अन्य उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों व कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सिलाई, कढ़ाई सेवा का संचालन आदि की स्थापना करना है।

2- पुस्तकालयों वाचनालयों एवं शिक्षा विस्तार केन्द्रों की स्थापना एवं व्यवस्था करना।

3- राष्ट्र के सर्वागीण विकास हेतु आम नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा स्वावलम्बन, संस्कार व सामाजिक,आर्थिक, आध्यात्मिक उन्नति तथा राष्ट्रीय एकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

आवेदन सं०: 202500998000040

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 1 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रभात मिश्रा, पुत्र श्री राम धर मिश्रा

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नितीश कुमार , पुत्र श्री चंद्रेश सिंह

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री पत्र श्री दीनानाथ

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्री ाधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

तिवारी

उप निबंधक : ज्ञानपुर

भदोही

03/0

आशुतोष पाण्डेय ज्ञानपुर

निबंधक लिपिक भदोही

03/01/2025

प्रिंट करें

202500998000040

4- राष्ट्र भाषा हिन्दी व देववाणी संस्कृत भाषा के उत्थान, प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु कार्य करना।

5- समाज के व्यक्तियों के नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक उत्थान हेतु विविध प्रयास करना। विविध धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों के प्रति प्रयास करना।

6- परम्परागत सांस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देना, लोक नृत्य, लोक गायन, नाटक, आल्हा, नौटंकी, आदिवासी नृत्य तथा स्थानीय संगीत एवं नृत्य आदि के प्रचार-प्रसार निःशुल्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य करना। धर्म एवं समाज में धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना।

7- राष्ट्रहित में राष्ट्रीयता जागरण, राष्ट्रीय एकीकरण व समाज में सामंजस्य, सौहार्द, प्रेम बनाये रखना, भाईचारा कायम रखना तथा जाति लिंग, सम्प्रदाय, जनित भेदभाव से मुक्त समरसता पूर्ण समाज का निर्माण करना। सामाजिक समता व समरसता व सामाजिक न्याय हेतु प्रयास करना।

8- समाज में आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर वर्गो तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, विकलांगो, विधवाओं, परित्यक्ता, बाल व वृद्धो के कल्याण हेतु वृद्धाआश्रम की स्थापना कार्य योजनाएं बनाकर विविध कार्यक्रमों विविध कार्यक्रमों को संचालन करना।

9- महिलाओं का स्वरोजगार से जोड़ने हेतु हस्तशिल्प निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिला हिंसा की समाप्ति हेतु हर सम्भव कार्य करना।

10- समाज में बेरोजगार, गरीबी रेखा के नीचे, जीवन यापन करने वालो, फुटपाथ तथा झुग्गी, झोपड़ियो के निवासियों, दुकानदारों, गृहविहीनों, भूमिहीनों तथा माता-पिता/परिजनों से पिछड़े बच्चों की समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रयत्न करना, समाज में पीड़ितों, उत्पीड़नो तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, की रक्षा करना।

11- समाज का सर्वांगीण विकास करना विशेष कर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अनु० जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के विकास हेतु कार्य करना।

202500998000040

12- विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, निःशुल्क औषधालय, व्यायामशाला, ओल्ड ऐज होम, डे केयर सेन्टर, गौशाला, धर्मशाला आदि की स्थापना करना।

13- पर्यावरण, संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधारक, वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि संवर्धन, जल तथ वायु प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्य करना।

14- निःशुल्क स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यो को सम्पदित करना, इसके लिये चैरिटेबुल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था करना। साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे पल्स पोलियों कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, फाइलेरिया नियंत्रण, टी०बी० उन्मूलन आदि का प्रचार-प्रसार करना तथा टीकाकरण स्वास्थ्य जांच व उपचार एवं परिवार कल्याण इतथ्याद कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना तथा सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना।

15- कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्य करना, केन्द्र व राज्य सरकार की कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु सहयोगी एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा कृषकों के उत्थान हेतु कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों, कृषक विकास केन्द्रों, किसान विद्यालयों की स्थापना करना तथा तकनीकी ज्ञान के हस्तान्तरण हेतु कार्य करना।

16- निर्बल एवं बेरोजगार व्यक्तियों के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग/ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/उद्योग मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय तथा अन्य राजकीय विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं प्रोत्साहन योजनाओं के आधार पर ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना, नीतियों का प्रचार-प्रसार करना और अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु ग्राम उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

17- सामाजिक कुरीतियों तथा दहेज प्रथा, अन्ध विश्वास व नशाखोरी के उन्मूलन हेतु कार्य करना तथा नशीली दवाओं का सेवन करने वालो को उससे निजात दिलाने हेतु कार्य करना।

18- ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के सर्वांगीण विकास हेतु हर सम्भव प्रयत्न करना।

19- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायतार्थ कल्याणकारी कार्यक्रम करना।

202500998000040

20- समस्त जीव-जगत के कल्याण हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना एवं विलुप्त प्राणियों, पशु-पक्षियों के संवर्धन व संरक्षण हेतु प्रयास / अनुसंधान करना।

21- संस्थान द्वारा ग्रामीण किसानों को तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि के लिये जागरूक करना व उसके द्वारा सार्थक प्रयास करना तथा ग्रामीण किसानों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार।

22- उद्यानीहकरण के प्रोत्साहन हेतु कार्य करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी/फलोउत्पादक का प्रचार-प्रसार करना।

23- स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु उद्यमिता विकास, व्यवसाय प्रबन्ध, विपणन प्रबन्ध एवं तकनीकी ज्ञान सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना तथा जनहित में रोजगार परामर्श की व्यवस्था करना।

24- समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कपडा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इत्यादि केन्द्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना तथा योजनाओं तथा लाभार्थियों के बीच सेतु का कार्य करना।

25- हस्तशिल्प व लोक कलाओं तथा लोक संस्कृत्ति के प्रचार-प्रसार व संरक्षण हेतु कार्य करना।

26- सामाजिक विकास हेतु शोध, सर्वेक्षण व निःशुल्क प्रकाशन के कार्य सम्पन्न करना।

27- गांवो के स्वावलम्बी विकास के लिये विविध तकनीकी, वैज्ञानिक एवं वैदिक विधाओं पर आधारित शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रदर्शन, परिचर्चा आदि माध्यमों से आदर्श ग्रामीण समाज निर्माण हेतु कार्य करना।

28- जैविक खेती, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैव तकनीक, ग्राम उद्योग, प्राकृतिक का संरक्षण व अन्य विकास पर कार्य योजनाओं पर आधारित जनसहभागी एवं समाज उपयोगी विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।

29- गोवंश-आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये गोशाला का विकास स्थापना व प्रबन्धन, संवर्द्धन, नस्ल सुधार पर अनुसंधान, प्रचार-प्रसार के कार्य करना।

202500998000040

30- आयुर्वेद व भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के उन्नयन, प्रचार-प्रसार तथा शोध हेतु कार्य करना तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।

31- गैर लाभकारी (चैरिटेबुल) संस्था के रूप में सम्पूर्ण आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति तथा सामाजिक कार्यों हेतु व्यय करना। आवश्यकतानुसार उद्देश्यों की पूर्ति सरकारी, अर्द्धसरकारी, देशी/विदेशी रचनात्मक संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों केन्द्रीय/राज्य सरकारो तथा बैंको कसे दान अनुदान, चल-अचल सम्पत्ति व ऋण प्राप्त करना।

32- संस्कृति के उत्थान जीर्ण मन्दिर, आदि धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार व सुन्दरीकरण।

33- सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु कथा, सत्संग व धार्मिक अनुष्ठान करना।

34- गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना व जल संसाधन को सुरक्षित करने हेतु प्रयास करना।

35- ट्रस्ट को उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि का क्रय विक्रय, पट्टा अनुबन्ध व भवन निर्माण आदि करना।

36- समाज के सर्वांगीण विकास हेतु अन्य समस्त आवश्यक क्रियाकलापों का संचालन करना।

37- शैक्षिक किताबों, पेपर (सप्ताहिक, दैनिक, मासिक समाचार पत्र) आदि का प्रकाशन करना।

38- फिल्म, टेलीफिल्मों का निर्माण करना।

39- ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वास्थ्य सेवा के लिये वाहन व एम्बुलेन्स की सुविधा कराना।

40- पर्यावरण का संरक्षण व सुरक्षा के लिये जागरुक करना

41- पेयजल/प्याऊ जल की व्यवस्था कराना

42- प्राईमरी स्कूल मे शिक्षा ग्रहण करने के लिये ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो के लोगो को प्रेरित करके बच्चो को स्कूल तक भेजना।

43- पिछड़े व निर्धन बच्चो को डिजिटल लाईब्रेरी व डिजिटल माध्यम से शिक्षित कराना।

44- सोशल मिडिया के माध्यम से सामाजिक संस्कृति शिक्षा, स्वास्थ्य व सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना।

45- ट्रस्ट में सम्मिलित पदाधिकारियो/ सदस्यों के नाम, पता एवं व्यवसाय जिनको ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के रूप में प्रथम बार कार्य भार सौपा गया है।

202500998000040

क्रं0	नम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	प्रभात मिश्र पुत्र रामधर मिश्र	सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही।	अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी	वकालत
2.	प्रवीण मिश्र पुत्र रामधर मिश्र	सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही।	प्रबन्धक/सचिव	समाजसेवा
3.	प्रज्ञा देवी पत्नी प्रवीण मिश्र	सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
4.	काजल पत्नी प्रभात मिश्र	सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही।	सदस्य	गृहणी
5.	रामधर मिश्र पुत्र काशीराम मिश्र	सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही।	सदस्य	स्माजसेवा

ट्रस्ट का मुख्यालय ट्रस्ट के सम्पत्ति का भाग नही रहेगा।

आज दिनांक ट्रस्ट के पास कोई चल अचल सम्पत्ति नही है।

स्थान ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश

दिनांकः– 03-01-2025

202500998000040

काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का घोषणा पत्र

(ट्रस्ट डीड)

ट्रस्ट का नाम- **काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट**

ट्रस्ट का पता- ग्राम सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील ज्ञानपुर जनपद-भदोही, (उत्तर प्रदेश)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा भारतीय संस्कृति के अनुरूप सामाजिक उत्थान, सांस्कृति विकास एवं राष्ट्रीयता विकास हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है किन्तु मुख्य कार्यालय भारत में ही होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्य :-

ट्रस्ट के निम्नवत् सदस्य होगें।

1- संस्थापक सदस्य :-
संस्थापक व्यक्ति ही संस्थापक सदस्य होगें।

2- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष

संस्थापक द्वारा स्थापित ट्रस्ट में स्थापक के समय नियुक्त ट्रस्टी व ट्रस्ट संचालन हेतु समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष होगें राइज अप पब्लिक शिक्षा सेवा समिति ट्रस्ट में तीन पदाधिकारी हो सकेगें। अधिकतम सदस्य सीमा समय-समय पर प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3- आजीवन सदस्य :-

ट्रस्ट के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वालेयारह हजार मात्र) सदस्यता शय होगें।

202500998000040

4- सामान्य सदस्य :-

ट्रस्ट के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले वे व्यक्ति जो प्रतिवर्ष रूपया 1000/- (रूपया एक हजार मात्र) सदस्यता शुल्क देगे, सामान्य सदस्य होगें।

सदस्यता की समाप्ति :-

निम्न परिस्थितियों में सदस्यो की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

1- पागल व दिवालिया होने पर

2- ट्रस्ट के हितों/सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य करने पर।

3- न्यायालय द्वारा जघनय अपराध में दण्डित होने पर।

4- सदस्यता शुल्क जमा न करने पर।

5- अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निकाले जाने पर।

6- त्याग पत्र दे देने पर।

अ- प्रबन्धकारिणी समिति

प्रबन्धकारिणी समितिः-

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी सदस्य निम्नवत् होगी।

1- ट्रस्ट के प्रबन्धन व संचालन हेतु गठित समिति प्रबन्धकारिणी समिति होगी।

2- प्रबन्धकारिणी समिति मूल ट्रस्टी व सदस्यों को मिलाकर गठित की जायेगी।

2- प्रबनधकारिणी समिति में निम्न प्रदाधिकारी व प्रबन्धकारिणी सदस्य होगें।

1- अध्यक्ष,

2- -प्रबन्धक,

कार्यकालः-

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा।

202500998000040

बैठक का कोरमः-

किसी भी बैठक के कम से कम 7 दिन पूर्व बैठक सूचना दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में एक दिन पूर्व व्यक्तिगत / संदेशवाहक / टेलीफोन सूचना पर्याप्त होगी।

बैठक अवधिः -

प्रबन्धकारिणी समिति की वर्ष में न्यूनतम एक बैठके आवश्यक होगी। विशेष बैठक कभी भी 24 घण्टे की नोटिस में बुलायी जा सकेगी। अथवा विशेष परिस्थितियों में एक दिन पूर्व सूचना अवधि मान्य होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं कर्तव्यः

(अ) अध्यक्षः

(1) ट्रस्ट के समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

(2) सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।

(3) बैठको के लिए तिथियों का अनुमोदन करना।

(4) ट्रस्ट के विकास के लिए सभी प्रकार के सामाजिक कार्य करना।

(ब) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष :-

(1) वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से प्रभात मिश्र जो कि न्यासकर्ता है को जीवन पर्यन्त इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष सुनिश्चित / नियुक्त किया जाता है। मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के वंशावली वाले ही भविष्य में मुख्य ट्रस्टी के रूप में माने जायेगें।

(2) न्यास का प्रधान न्यासी की आजीवन उसका अध्यक्ष रहेगा।

(3) मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्ट का प्रशासनिक अधिकारी होगा। सभी प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत निष्कासन, वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एवं भुगतान, ट्रस्ट के बन्धक पत्र, विलेख पत्र, चल/अचल सम्पत्ति को सुरक्षित एवं हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

202500998000040

(4) ट्रस्ट के आय-व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षण करना व कराना, दान-अनुदान, चन्दा प्राप्त कर उसको संस्था के विकास कार्यों में व्यय करना। वाद-विवाद के मुकदमों की पैरवी करना। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, वार्षिक बजट पास करना, विकास हेतु परियोजना का प्रस्ताव तैयार करना तथा उसकी पैरवी करना।

(5) ट्रस्ट को 80जी एवं एफ०सी०आर०२०२० में पंजियन कराया जायेगा।

(6) सभी प्रकार के अभिलेखों को अपने देख रेख में रखना, बैठक की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना/करना, कोष का संचालन करना, बिल, बाउचरों पर हस्ताक्षर करना तथा भुगतान आदि का आदेश देना, ट्रस्ट के विकास के लिये सभी प्रकार के कार्य करना।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष महोदय को अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में जब चाहे नामित / हस्तानान्तरिक करने का पूर्ण अधिकार होगा, वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न किए जाने की स्थिति में उनके मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष होगें।

मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तान्तरण -

1- मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की नियुक्ति कर दें।

2- मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष बनते ही उसे सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें तो किस इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।

4- मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी की व्यवस्थाओं में मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5- मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को चाहिये की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। इस संदर्भ में यह भी

202500998000040

स्पष्ट करना है कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्थ में की गयी वसीयत / इच्छा व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7- कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष तनी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरित विषय पर विचार एवं पुर्नविचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को प्रदान न कर दें।

8- कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें की अधिकतम 21 सदस्य होगें।

2- यह कि मेनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय इसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यलय समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4- यहकि बोर्ड ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको की मैनेजिंग ट्रस्टीज प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य तथा अन्तिम होगा।

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

202500998000040

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को यह विशेषाधिकारी होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत / संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्वन्धित पक्षों को अन्तिम रूप में मान्य एवं स्वीकार होगा।

सचिव/उपसचिवों की नियुक्तिः-

सचिव/उपसचिव की व्यवस्था निम्नवत् होगी।

1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2- यह कि सचिव/उपसचिव की वेतन भत्ते सुविधायें कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3- यहकि उक्त सचिव, उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी समय विना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक / अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः-

1- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

2- ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

3- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

4- ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।

5- जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार :-

202500998000040

ट्रस्ट के सम्पत्ति सम्बन्धी उपबन्ध निम्न प्रकार होगें।

1- ट्रस्ट चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वही अधिकार रखता है जो एक नागरिक / व्यक्ति के होते हैं।

2- मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्ट की तरफ से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में लेख, विलेख लिखने या निर्णय हेतु समर्थ एवं अधिकृत है या इस कार्य को अधिकृत कर सकता है।

3- ट्रस्ट चल-अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराए पर दे सकता है अथवा ले सकता है।

4- ट्रस्ट जनहित में धन किसी बैंक, संस्था एवं कम्पनी आदि के किसी योजना में विनियोजित / सुरक्षित कर सकता है।

कोरम:-

बैठक के कारण में प्रबंध समिति सदस्यों के एक तिहाई का होना आवश्यक होगा।

सूचना अवधिः-

बैठक के 10 दिन पूर्व व विशेष परिस्थितियों में एक दिन पूर्व मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

ट्रस्ट में मूल ट्रस्टीज के त्याग पत्र अथवा मृत्यु की दशा में ट्रस्टीज के वैधानिक उत्तराधिकारी ट्रस्टी हो सकेंगें। प्रबन्ध समिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति मूल ट्रस्टीज द्वारा बैठक कर बहुमत से कर ली जायेगी।

ट्रस्ट का कोषः-

202500998000040

ट्रस्ट के कोष का संचालन राष्ट्रीय कृत बैंक / मान्यता प्राप्त बैंक में मार्गदर्शक समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रबन्धकारिणी समिति के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष एवं कोषाअध्यक्ष या किसी एक सदस्य में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

नियमावली संशोधन :-

ट्रस्ट के नियमावली में संशोधन मूल ट्रस्टीज द्वारा परस्पर सहमति या बहुत के आधार पर किया जायेगा।

आडिट :-

ट्रस्ट का आडिट प्रति वर्ष संस्था के एकाउन्टेन्ट या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

विघटन :-

ट्रस्ट का विघटन इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अनुसार किया जायेगा। ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में दायित्वों के निपटारों के पश्चात् सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति अन्य समुद्देशीय ट्रस्ट को अन्तरित कर दी जायेगी

विशेषः-

1- इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय महाविद्यालय कार्यक्रम/ इकाई / कार्यालय / संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

2- अध्यक्ष एवं ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी / किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी किन्हीं प्राविधान / प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान / प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बनध में अध्यक्ष की व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। राइज अप

202500998000040

पब्लिक शिक्षा सेवा समिति ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमालवी एतद्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यन्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

दस्तावेज ट्रस्ट में मु0 750/- रूपये का ई स्टाम्प लगा है जिसका प्रमाण पत्र संख्या

IN-UP32931388910880X....दिनांक 03-JANUARY-2025

अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी

प्रभात मिश्र पुत्र रामधर मिश्र निवासी
ग्राम सुधवै पोस्ट सुधवै तहसील
ज्ञानपुर जनपद भदोही

202500998000040

साक्षीगण

1- नितीश कुमार पुत्र चंद्रेश सिंह निवासी सुधवै ज्ञानपुर भदोही
आधार संख्या xxxx xxxx 1499 Mo.No.-95

ह० गवाह-

2- विपिन पुत्र दीनानाथ निवासी सुधवै ज्ञानपुर भदोही

आधार संख्या xxxx xxxx 4098 Mo.No.-9

ह० गवाह-

दस्तावेज लेखक-सन्तोष कुमार पाठक
अनुज्ञप्ति संख्या-2 31.03.2025 तक
विधिमान्य ली गयी फीस 20
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर टाईपकर्ता
03-01-2025

हस्ताक्षर मसविदाकर्ता

आवेदन सं०: 202500998000040

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 55 के पृष्ठ 123 से 158 तक क्रमांक 1 पर दिनाँक 03/01/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश तिवारी
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही
03/01/2025